

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 91] नई दिल्ली, बुध्दिवार, अप्रैल 26, 1973/वैशाख 6, 1895

No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1973/VAISAKHA 6, 1895

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

*New Delhi, the 26th April 1973*

**G.S.R. 208(E).**—Whereas a Fact Finding Committee has been set up under the Resolution of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 19/3/72-Press, dated the 14th April, 1972 for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the economics of the newspaper industry;

And whereas the Fact Finding Committee had addressed a detailed questionnaire to all the daily newspapers in September, 1972 requesting information and data on matters pertaining to the terms of reference which, in the opinion of the Fact Finding Committee, may be useful or relevant to the subject matter of the inquiry;

And whereas only a small number of daily newspapers have furnished the requisite information and data;

And whereas the information and data supplied by some daily newspapers have been found to be insufficient or inadequate;

And whereas a large number of daily newspapers have still not furnished any information or data;

And whereas having regard to the nature of the inquiry and the circumstances of the case, the Central Government is of opinion that all the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) other than the provisions of sub-section (1) of section 5 thereof should be made applicable to the said Fact Finding Committee;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Act other than the provisions of sub-section (1) of section 5 thereof shall apply to the said Fact Finding Committee.

[No. F.19/2/73-Press.]

A. J. KIDWAI, Secy.

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

जी० एस० आर० 208(अ).—यतः लोक महत्व के एक निश्चित विषय, अर्थात् समाचार-पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था, की जांच करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 19/3/72-प्रेस, तारीख 14 अप्रैल, 1972 के अधीन एक तथ्य अन्वेषक समिति गठित की गई है ;

और यतः तथ्य अन्वेषक समिति ने सितम्बर, 1972 में सभी दैनिक समाचार-पत्रों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी थी जिसमें निर्देश के निबन्धनों में सम्बन्धित विषयों के सम्बद्ध में जानकारी और आंकड़े, जो तथ्य अन्वेषक समिति की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिये लाभप्रद या उससे सुसंगत हों देने के लिये निवेदन किया गया था ;

और यतः केवल थोड़े ही दैनिक समाचार-पत्रों ने ही अपेक्षित जानकारी और आंकड़े दिये हैं ;

और यतः कुछ दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा दी गई जानकारी और आंकड़े पर्याप्त या यथेष्ट नहीं पाये गये हैं ;

और यतः अधिकांश दैनिक समाचार-पत्रों ने अभी तक कोई जानकारी या आंकड़े नहीं दिये हैं ;

और यतः जांच की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न उसके सभी उपबन्ध उक्त तथ्य अन्वेषक समिति को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न उसके सभी उपबन्ध उक्त तथ्य अन्वेषक समिति को लागू होंगे ।

[सं० फा० 19/2/73-प्रेस]

ए० जे० किदवर्दी, सचिव ।

